<u>यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर</u>

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—200 / 2018 / 223 (2018 / 00200)

1. प्रहलाद पुत्र मोहनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी सांपला, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी सांपला, तह0 सरवाड़ जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 4.7.2018 अंतर्गत वाद संख्या 141 / 2014.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री बी0एल0शर्मा, वकील रेस्पो0 ।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.7.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 188, 92—ए, 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 990 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नंबर 991 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा भूमि ग्राम सांपला, तह0 तहसील सरवाड़ में अवस्थित है । उक्त आराजियात वादी / रेस्पो0 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है । उक्त आराजियात पर प्रतिवादी / अपीलांट जबरन कब्जा करने व दखलदांजी करने की कार्यवाही कर रहे है । अतः प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । प्रतिवादी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 में उपस्थिज्ञत होकर वादपत्र का जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादी / रेस्पो0 द्वारा मिथ्या व मनगंढ़त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है । आराजी खसरा नंबर 988 पर जाने हेतु एक रास्ता 20 फीट चौड़ा वादी / रेस्पो0 के खेत खसरा नंबर 990 व 991 में से करीबन 20—25 वर्षो से है जिसका उपयोग उपभोग सभी अड़ौस—पड़ौस के खेत वाले निर्बाध रूप से करते चले आ रहे है । उक्त रास्ते को बंद करने की नियत से वादी / रेस्पो0 ने यह वाद प्रस्तुत किया है जो कि निरस्त किया जावे तथा तथा प्रतिवादी / अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादी / रेस्पो0 को रास्ता बंद नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 4.7.2018 द्वारा वादी / रेस्पो0 का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी / अपीलांट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 990 व 991 राजस्व नक्शे के अनुसार पक्षकारान की शामलाती सहखातेदारी की आराजियात खसरा नंबर संख्या 988 व 987 से चिपटी हुई है । उपरोक्त आराजियात खसरा नंबर 990 व 991 से आवागमन हेतु खसरा संख्या 988 में जाने हेतु रास्ता गत 50 वर्षो से कायम है । उक्त आराजियात के अतिरिक्त अन्य आराजियात खसरा नंबर 982 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा भी अपीलांट एवं रेस्पो0 की सहखातेदारी में दर्ज अभिलेख है एवं उक्त आराजियात पर आपसी सहमति से रेस्पो0 हिस्से से अधिक काबिज है । आराजी खसरा नंबर संख्या 987 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा है रेस्पो0 स्वंय के द्वारा उक्तानुसार राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा स्पष्टतः विवादित आराजी खसरा नंबर 987 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा बाबत् अपीलांट के 1/3 हिस्से फार्म पोण्ड सम्मिलित करने व रेस्पो0 के 2/3 हिस्से अनुसार अंतिम डिक्री पारित किये जाने के निर्देश दिये है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को उनके निहित हक व अधिकारों से महरूम करने के नियत से रेस्पो0 द्वारा समस्त तथ्यों छिपाते हुए प्रस्तुत वाद पत्र में स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति अपीलांट के पक्ष में पारित किये जाने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 990 व 991 के अतिरिक्त अन्य उक्त खसरे से चिपती हुई आराजियात खसरा संख्या 987 व 982 जो कि अपीलांट एवं रेस्पो0 की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात रही है जिस पर अपने हिस्से अनुसार दोनों पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे है । एकमात्र पक्षकारान के मध्य सिविल व फौजदारी प्रकरण विचाराधीन चल रहे है उनमें दबाव आने के कारण रेस्पो0/वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद पत्र खसरा नंबर 990 व 991 की आराजियात को लेकर प्रस्तुत किया गया है एवं इसकी आड़ में अपीलांट की खातेदारी की आराजियात के आवागमन के रास्ते को बंद किया जा रहा है । स्वंय रेस्पो0 द्वारा दिये गये बयानों में जिरह में स्पष्ट वर्णित किया है कि नक्शा ट्रेस व खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई है । दस्तावेजात के अभाव में वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं होने के बावजूद वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट था कि आराजी खसरा नंबर 990 व 991 से चिपती हुई खसरा संख्या 988 व 987 व 982 पक्षकारान की शामलाती सहखातेदारी की आराजियात है जिस बाबत् विभिन्न न्यायालयों में सिविल एवं फौजदारी प्रकरण विचाराधीन है एवं उक्त आराजियात से महरूम किये जाने की नीति से वादी ने यह वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात खसरा नंबर 990 व 991 वादी/रेस्पो0 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजियात है जिस पर उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है । विवादित आराजियात

पर अपीलांट की आराजियात में आवागमन हेतु किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है । वादी/रेस्पो0 विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार है जिसकी आराजियात में अन्य व्यक्ति द्वारा दखलदांजी किये जाने पर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का विधिक अधिकार है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर तनकीवार निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । ग्राम सांपाल, तहसील सरवाड़ स्थित खसरा नंबर 990 रकबा 17–7–0 बीघा एवं खसरा नंबर 991 चाह रकबा 0.06 बिस्वा भूमि प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में भंवरलाल वल्द लक्ष्मीनारायण कौम ब्राहमण, साकिन देह खातेदार राहिन भीलवाड़ा अजमेर क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा केकड़ी मूर्तहीन दर्ज है। वादी का अपने वादवपत्र में कथन रहा है कि प्रतिवादी उसकी खातेदारी खेत में दखल कर रहे है । इस कारण प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादी को बेदखल नहीं करे तथा कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करे । प्रतिवादी का अधी0न्याया0 के समक्ष कथन रहा है कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 990 व 991 से होकर 20 फीट चौड़ा रास्ता 25–30 वर्षो से प्रतिवादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 988 पर जाने हेतु है जिसका उपयोग आवागमन हेतु प्रतिवादी व अन्य अड़ौस पड़ौस के खेत वाले व्यक्ति कर रहे है । इस कारण प्रतिवादी द्वारा भी वादी के विरूद्ध काउन्टर क्लेम बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के अनुसार रेस्पो0/वादी भंवरलाल खातेदार काश्तकार दर्ज है । प्रतिवादी प्रहलाद के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 990 व कुऐं खसरा नंबर 991 में 20 फीट चौड़ा रास्ता अवस्थित हो तथा प्रतिवादीगण व अन्य काश्तकार इस रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे हो । ऐसी भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की कि ऐसा कोई तथाकथित 20 फीट चौडा रास्ता राजस्व नक्शे अथवा राजस्व अभिलेख में दर्ज हो । प्रतिवादी द्वारा ऐसी भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की कि प्रतिवादी के पक्ष में सक्षम न्यायालय द्वारा तथाकथित रास्ता घोषित किया गया हो । अपीलाधीन भूमि वादी/रेस्पो0 भंवरलाल की खातेदारी में दर्ज है । कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से वादी की खातेदारी हक कब्जे काश्त में दखल करने पर वादी धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवा सकता है जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा कोई विधिक त्रुटि कारित नही की गई है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट निरस्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है । ।

7. अतः अपील खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी , सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.7.2018 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)